मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेलः edqcrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 वेबसाइटः www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.5(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./ 2020–21/976 दिनांकः– 04.11.2020

श्री लेखराज तोसावड़ा,
संयुक्त सचिव (एलटी),
मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार।

विषयः– दैनिक भास्कर दिनांक 31.10.2020 को प्रकाशित खबर "कोरोनाकाल में महागडबड़ी संस्थान प्लास्टिक जाँच वाला सैंपल मास्क कपड़े के भेजे" के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाने बाबत्।

संदर्भः– श्री लेखराज तोसावड़ा, संयुक्त सचिव (एलटी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक /मु.म /सं स.(एल.टी)/2020/दिनांकः–02.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपापन शाखा द्वारा दिनांक 09.10.2020 को निविदा जारी की गयी थी। इस क्रम में उपापन शाखा द्वारा दिनांक 14.10.2020 उपलब्ध करवाए गए स्पेसिफिकेशन के आधार पर गुणवत्ता जाँच के लिए भारत सरकार की संस्था Cerntral Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Deparment of Chemicals & Petrochemicals, Govt. of India, SP-1298, Phase-III, Sitapura Industrial area, Tonk Road, Jaipur से स्पेसिफिकेशन भेजकर गुणवत्ता जाँच हेतु मानक के आधार पर टेस्टिंग हेतु संस्थान से सहमति मांगी गयी। जिस पर CIPET द्वारा जरिये E-Mail मास्क के सैंपल की संख्या, मानक अनुसार जाँच के लिए व्यय होने वाली राशि एवं उसमे लगने वाला समय उपलब्ध कराया गया।

इसके उपरांत Cerntral Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET) को 13 फर्मो के सैंपल गुणवत्ता जाँच हेतु दिनांक 19.10.2020 को भेजकर गुणवत्ता जाँच करवाई गयी तथा CIPET से गुणवत्ता रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 को प्राप्त हुई।

वर्तमान में गुणवत्ता रिपोर्ट आने के उपरांत प्रकरण को उपापन शाखा द्वारा क्रय समिति में रखा गया हे जिसमे गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा। समाचार पत्र में यह तथ्य अंकित करना कि CIPET जाँच हेतु सक्षम नहीं है पूर्णतया निराधार है क्यों की CIPET द्वारा कपड़े के मास्क (Three layer Fabric mask) की गुणवत्ता जाँच हेतु मानक के आधार पर टेस्टिंग हेतु संस्थान द्वारा सहमति दी गयी थी। इसके उपरांत ही आरएमएससी द्वारा भारत सरकार की संस्था CIPET से नमूनों की जांच करवाई गई है।

इस तरह समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार तथ्यहीन होने से निराधार है।

4/11/2020

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी

प्रतिलिपि :–

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।

विशेषाधिकारी
आरएमएससी